न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हॅसमख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 136 / 2020

2020/00162

प्रार्थी	बनाम अप्राथी
श्री भूबाराम पुत्र दीपाजी जाति मेधवाल	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
निवासी जावाल तहसील व जिला सिरोही राज.	

उपस्थित :-
1– प्रार्थी स्वंय
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ना.तह.सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने बाबत् ।

निर्णय — दिनांक 26–11–2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने बाबत दिनांक 14–10–2020 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम से कृषि आराजी मौजा जावाल पटवार हल्का जावाल मे कृषि भूमि वर्तमान खसरा नंबर 1719 मे प्रार्थी के पिता का नाम दला दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी के पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार पिता का सही नाम दिपाजी है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व रेकर्ड मे दिनांक 7–3–1978 के पहले पहले राजस्व रेकर्ड भुबा पुत्र दीपा दर्ज था जो कि सेटलमेण्ट के समय राजस्व अधिकारियों के द्वारा भूलवश प्रार्थी के पिता का नाम दला दर्ज किया गया है जो कि प्रार्थी के पिता का गलत नाम है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम दीपा है। अतः राजस्व रेकर्ड के अनुसार संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी के पिता का सही नाम दीपा दर्ज करवाना फरमावें एवं राजस्व रेकर्ड मे पिता का नाम दीपा दर्ज करवाने हेतु अप्रार्थी को निर्देश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के संलग्न मौजा जावाल पटवार हल्का जावाल तहसील सिरोही जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2072–2075 खाता संख्या 728 खसरा नंबर 1719 रकबा 1.8100 हेक्टेयर व लगान जमा की रसीद दिनांक 7–3–1978 व सेटलमेण्ट विभाग की जमाबंदी संवत 2061 से 2080 खाता संख्या 452 की प्रतियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक 26–11–2020 को दर्ज रजिस्टर कर मेरे समक्ष पेश हुआ । प्रार्थी के तर्को को सुना ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व संलग्न उक्त वर्णित राजस्व रेकर्ड प्रतियो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि सेटलमेण्ट विभाग की जमाबंदी संवत 2061 से 2080 खाता संख्या 452 मे नाम खातेदारान के कॉलम मे बाबा ,भुबा पि. दीपा कौम भांबी सा.देह खातेदार स्पष्ट अंकित है तथा लगान जमा की रसीद दिनांक 7–3–1978 मे लगान जमा कराने वाले खातेदार का नाम बाबा पि.दीपा व भूबा पि.दीपा अंकित है जो सही है जबकि राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या नया 728 मे गलती से भूलवश प्रार्थी के पिता का नाम दला अंकित कर दिया जिसके कारण प्रार्थी को कई तरह की समस्याऐं पैदा हुई तथा प्रार्थी को मानसिक तनाव मे रहना पडा तथा भविष्य मे प्रार्थी को आर्थिक नुकसान भी संभावित है। प्रार्थी के पिता का गलत नाम दला अंकित होना लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्त करना आवश्यक है। अतः उपरोक्त आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को न्यायहित [illegible] योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दि[illegible] ते है कि वे मौजा जावाल पटवार हल्का जावाल तहसील व जिला सिरोही मे स्थित प्रार्थी की संयुक्त खा[illegible] कृषि आराजी जमाबंदी संवत 2072–2075 के नया खाता संख्या 728 के खसरा नंबर 1719 [illegible] हेक्टेयर मे काश्तकार [illegible] के कॉलम मे क्र.स. 5 पर प्राथी के पिता का [illegible] के स्थान पर बाबा पि. दीपा [illegible] सं. 6 पर प्रार्थी के पिता का गलत दर्ज नाम दला के स्थान पर भूबा पि. दीपा संशोधन/दर्ज कर [illegible] अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।निर्णय सरे ईजलास सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:53 IST
Reason: SelfAttested

(हंसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)